



आवश्यक सूचना



“सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला प्रशासन एवं गाजियाबाद नगर निगम के संयुक्त प्रयास से कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की सुविधा के लिए आक्सीजन गैस सिलेन्डरों की आपूर्ति हेतु वितरण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। आवश्यकता पडने पर निम्नलिखित निर्धारित स्थलों/आक्सीजन वितरण केन्द्रों से आक्सीजन गैस सिलेन्डरों की आपूर्ति प्राप्त की जा सकती है”

आक्सीजन गैस सिलेन्डर की आपूर्ति हेतु निर्धारित स्थलों/केन्द्रों का विवरण

1-	सिटी जोन अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र हेतु निर्धारित स्थल/केन्द्र	नेहरुनगर सामुदायिक केन्द्र निकट होली चाईल्ड स्कूल
2-	वसुन्धरा जोन अन्तर्गत निर्धारित स्थल/केन्द्र	सेक्टर-5 वसुन्धरा स्थित स्वास्थ्य विभाग गैराज
3-	विजयनगर जोन अन्तर्गत निर्धारित स्थल/केन्द्र	विजयनगर जोनल कार्यालय स्थित निर्माण विभाग स्टोर
4-	कविनगर जोन अन्तर्गत निर्धारित स्थल/केन्द्र	कविनगर जोनल कार्यालय के पीछे (सी-ब्लॉक) स्थित निर्माण विभाग स्टोर
5-	मोहननगर जोन अन्तर्गत निर्धारित स्थल/केन्द्र	मोहननगर जोनल कार्यालय पानी की टंकी कम्पाउंड स्थित निर्माण विभाग स्टोर

आक्सीजन गैस सिलेन्डर प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

- आधार कार्ड की छायाप्रति
- डॉक्टर द्वारा जारी दवाई का पर्चा/प्रिसक्रिप्शन
- आक्सीजन सैचुरेशन लेवल रिपोर्ट
- कोरोना टेस्ट रिपोर्ट

आक्सीजन गैस सिलेन्डर के रजिस्ट्रेशन एवं आपूर्ति की अवधि

- आक्सीजन गैस सिलेन्डर के रजिस्ट्रेशन एवं सिलेन्डर जमा कराने की अवधि प्रातः 10.00 बजे सायं 4.00 बजे तक(सप्ताह के सातों दिन)।
- आक्सीजन गैस सिलेन्डर की आपूर्ति करने की अवधि रजिस्ट्रेशन के 36 से 48 घण्टे के भीतर।

आक्सीजन गैस सिलेन्डर की आपूर्ति हेतु निर्धारित शुल्क

- डी-टाईप (बड़े) आक्सीजन गैस सिलेन्डर हेतु अंकन रुपये 500/- प्रति सिलेन्डर।
- बी-टाईप (छोटे) आक्सीजन गैस सिलेन्डर हेतु अंकन रुपये 200/- प्रति सिलेन्डर।

नोट:- आवेदक को उपरोक्तानुसार समस्त प्रपत्रों की छायाप्रति छोटे/बड़े सिलेन्डर अनुसार निर्धारित धनराशि सिलेन्डर सहित आपूर्ति केन्द्र पर रजिस्ट्रेशन के समय जमा कराते हुए रसीद प्राप्त करनी होगी। रसीद दिखाने/प्रस्तुत करने वाले आवेदक को ही आक्सीजन गैस सिलेन्डर की आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी। रसीद गुम होने/प्रस्तुत न करने की स्थिति में आक्सीजन गैस सिलेन्डर की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

आक्सीजन गैस नोडल अधिकारी/नगर आयुक्त